Territories Administrations, upto November, 1972, 27 prosecution cases, including one case in Delhi, were pending against Central Government employees for their activities in connection with the Central Government employees' strike of September, 1968. Government's policy in regard to the prosecution of such employees has always been to allow the law to take its course, and not to interfere with the normal course of justice. However, the State Governments and the Union Territories Administrations concerned have been requested from time to time to take necessary steps for expediting the proceedings and also to have a careful scrutiny of the pending prosecution cases made with a view to terminating the proceedings according to law in cases in which the evidence is not considered sufficient.

Departmental leave in P. & T. Department

5233. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether employees in the Posts and Telegraphs Department are sent on Departmental Leave under Supplementary Rule 276; and

(b) if so, the total number of employees sent on Departmental Leave during the years 1970 and 1971?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) In the P. & T. Department, only seasonal staff, i.e., those employed for a part of a year, are eligible for the grant of Departmental Leave.

(b) Nil.

भारतीय मानक संस्था में पदों का आरक्षण

5234. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव:** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था पदों को आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 1/3/63-एस० सी० टी० (1) दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के अनुसार, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले माडल रोस्टर का पालन कर रही है; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय मानक संस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए पदों के आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/11/69, व्यवस्था (एस० सी० टी०), दिनांक 22 अप्रैल, 1970 के अनुसार, जिसके द्वारा उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/3/63- एस० सी० टी (1), दिनांक 21 दिसम्बर, 1963 में निर्धारित रोस्टरों को संशोधित किया गया है, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले मांडल रोस्टरों का पालन कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्था में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या

5235. **श्री शिवशंकर प्रसाद यादव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयमानक संस्था में निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; (1) निदेशक, (2) उपनिदेशक, (3) सहायक निदेशक, (4) सहायक सचिव, (5) अनुभाग अधिकारी, (6) सहायक ;